

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 204] No. 204] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2016/चैत्र 9, 1938

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2016/CHAITRA 9, 1938

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

सा.का.िन. 351(अ).- केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वरिष्ठ नागरिक बचत बैंक स्कीम नियमावली, 2004 का और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) ये नियम वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियमावली, 2016 कहलाएंगे।
 - (2) इन्हें 1 अप्रैल, 2016 से लागू माना जाएगा।
- 2. वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियमावली, 2014 में नियम 7 में, उप-नियम (1) में चौथे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा; अर्थात्:—
- " परंतुक यह भी कि अप्रैल, 2016 की पहली तारीख को या उसके बाद इन नियमों के अंतर्गत जमा की गई राशि के मामले में, यह राशि जमा कराई गई राशि की तारीख से 8.6 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज लगेगा ।"

[फा.सं. 1/04/2016-एनएस-II]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: भारत के राजपत्र असाधारण में वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियमावली, 2014 तारीख 2 अगस्त, 2004 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 490(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में इसमें तारीख 27 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 706 (अ), तारीख 23 मार्च, 2006 के सा.का.नि 176(अ), तारीख 24 मई, 2007 के

1516 GI/2016 (1)

सा.का.नि. 390(अ), तारीख 28 जुलाई, 2010 के सा.का.नि. 639(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 2011 के सा.का.नि. 770(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2012 के सा.का.नि. 321(अ), तारीख 25 जून, 2013 के सा.का.नि 402(अ), तारीख 13 मार्च, 2014 के सा.का.नि. 224 (अ), तारीख 13 मार्च, 2014 के सा.का.नि. 492 (अ), तारीख 11 जुलाई, 2014 और 592 (अ) तारीख 27 जुलाई, 2014 के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2016

- **G.S.R.** 351(E).— In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Senior Citizen Savings Scheme (Amendment) Rules, 2016.
 - (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2016.
- 2. In the Senior Citizen Savings Scheme Rules, 2004, in rule 7, in sub-rule (1), after the fourth proviso, following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that in the case of a deposit made under these rules on or after the 1st day of April, 2016, it shall bear at the rate of 8.6 persent per annum from the date of deposit."

[F. No. 1/04/2016-NS-II] PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Note: The Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004 were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G. S. R. 490(E), dated the 2nd August, 2004 and subsequently amended vide numbers G. S. R. 706(E), dated the 27th October, 2004, GSR 176(E), dated the 23rd March, 2006, GSR 390(E), dated the 24th May 2007, G.S.R. 639 (E), dated the 28th July, 2010, G.S.R. 770(E), dated the 19th October, 2011, G.S.R.321 (E), dated the 25th April 2012, G.S.R. 402 (E), dated the 25th June 2013, G.S.R.224 (E), dated the 13th March 2014, G.S.R. 492 (E), dated the 11th July, 2014 and G.S.R. 592 (E) dated the 17th July, 2015.